कार्यालय मुख्य अभियन्ता, (मध्य क्षेत्र)
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ

पत्रांक- 8896 सी0जेड0काम/11सी0जेड0(पे0पं0)-सीतापुर/2017, दिनाँक- 17/11/17

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

अधीक्षण अभियन्ता, सीतापुर-खीरी वृत्त, लो0नि0वि0, सीतापुर द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा गोला-शाहजहाँपुर मार्ग (राज्य मार्ग-93) के किमी0-43.00 चैनेज 42.403, गाटा सं0-642, ग्राम मछेछा, परगना पसगवाँ, तहसील मोहम्मदी, जनपद खीरी में रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न प्रतिबन्धों के साथ निर्गत किया जाता है :-

1. मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा गोला-शाहजहाँपुर मार्ग (राज्य मार्ग-93) के किमी0-43.00 चैनेज 42.403 पर मार्ग के मध्य से बॉयी ओर 22.86 मी0 (75.00 फीट) की दूरी के बाद निर्माण कराया जाय।
2. रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) परिसर का लेबिल मार्ग के लेविल से कम से कम 30.00 सेमी0 नीचा होना चाहिए, ताकि सड़क पर परिसर का पानी नहीं आने पाये।
3. लो0नि0वि0 की भूमि छोड़कर पक्की ड्रेन बनाई जाये तथा उसे लोहे की ग्रेडिंग से ढका जाय, ताकि वाहनों के आवागमन में असुविधा न हो और आउटलेट का पानी नाली के द्वारा मुख्य ड्रेन में जा सकें।
4. ड्रेनेज हेतु रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) सर्विस एरिया का ढाल कम से कम 02 प्रतिशत ड्रेन की ओर रखा जाय।
5. पम्प पर लगाये जाने वाले साइनेज बफर स्ट्रिप क्षेत्र में जमीन से कम से कम 3.00 मी0 ऊपर रखा जाय। पम्प के साइनेज के अतिरिक्त कोई स्ट्रक्चर अथवा होर्डिंग नहीं खड़ा किया जाय।
6. लो0नि0वि0 की भूमि पर कोई भी निर्माण एवं साइनेज (साइनबोर्ड) लगाना अनुमन्य नहीं होगा।
7. बफर स्ट्रिप के बाहरी सिरे से फ्यूल फिलिंग पम्प की दूरी कम से कम 7.00 मी0 से कम नहीं होनी चाहिए।
8. बफर स्ट्रिप कम से कम 12.00 मीटर लम्बी व 3.00 मी0 चौड़ी तथा निकासी गेट कम से कम 9.00 मीटर चौड़े होंगे।
9. मार्ग पर स्थित पुलिया/कलवर्ट के पानी की निकास हेतु मानचित्र पर लो0नि0वि0 द्वारा प्राविधानित डिजाइन के अनुसार 1.20 मीटर व्यास की ह्यूम पाइप पुलिया का निर्माण करने के पश्चात ही प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण किया जाय।
10. निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन है, तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जाय।
11. भूमि स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से होना चाहिए। इस सम्बन्ध में लो0नि0वि0 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
12. जब भी मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि वांछित होगी, तो भूमि चौड़ीकरण हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी और पम्प मालिक को अपने व्यय पर वांछित निर्माण हटाना होगा।
13. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के समस्त निर्देशों एवं अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, खीरी द्वारा ब्लू प्रिन्ट पर अंकित किये गये अनुबन्धों का भी पालन करना अनिवार्य होगा।
14. एम0ओ0एस0टी0 द्वारा जारी पत्रांक-आर0डब्लू0/एन0एच0 33023/19/99 डी0ओ0 111, दि0 24.07.2013 में दिये गये निर्देशों व चेकलिस्ट की शर्तो एवं आई0आर0सी0 कोड 12, 1983 में दी गई शर्ते लागू होंगी।
15. भारत सरकार सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के परिपत्र सं0-आर0डब्लू0/एन0एच0-33023/19/99-डी0ओ0-III, दि0 24.07.13 द्वारा जारी निर्देशानुसार आवश्यक धनराशि पंजाब नेशनल बैंक, शाखा-स्टेशन रोड, जिला-लखीमपुर-खीरी का डिमाण्ड ड्राफ्ट नं0-920678, दि0 23.06.2017 रू0 2,50,000/- जो अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, खीरी के नाम से जमा है।

उपरोक्त अनुमति अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, खीरी का पत्र संख्या-2696/12एम/जेई(टी), दि0 25.10.2017 तथा अधीक्षण अभियन्ता, सीतापुर-खीरी वृत्त, लो0नि0वि0, सीतापुर का पत्र संख्या-4485/330सी-सी0खी0/2017, दि0 01.11.2017 द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है। उपरोक्त शर्तो का अनुपालन न करने पर जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

(राजपाल सिंह)
मुख्य अभियन्ता, (म0क्षे0)
लो0नि0वि0, लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. जिलाधिकारी, खीरी।
   संलग्नक-ड्राइंग एक प्रति में।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सीतापुर-खीरी वृत्त, लो0नि0वि0, सीतापुर के पत्र सं0-4485/330सी-सी0खी0/2017, दि0 01.11.2017 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, खीरी के पत्र सं0-2696/12एम/जेई(टी), दि0 25.10.2017 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

17/11/17
मुख्य अभियन्ता, (म0क्षे0)
लो0नि0वि0, लखनऊ